

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

युबी नमै० बनाम बालासिंह नमै०

किरम मुकदमा- दावा अघा 88, 188 आर टी एक्ट
हुक्म या कार्यवाही मय लधु हस्ताक्षर

मुकदमा नम्बर- 67/2024

तारीख हुक्म		नम्बर नुं लखिस अहकाम नुं इत हुक्म की लखिस नुं लखि हुं
-------------	--	--

13.05.2024

वादीगण की ओर से श्री दीपक बाजिया एड० ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्नकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें साधारण तरीके से एवं रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्वीड पोस्ट के जारी की जावें। पत्रावली वारते देखने तामिल दिनांक 31.05.2024 को पेश हो।

20-21
55-21

(Signature)

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण

उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विज्ञा कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण मय पक्षकारान की सहमति के आधार पर दावा विज्ञा किए जाने की स्वीकृति दी जाती है तथा वादपत्र को खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(Signature)

(अनिल कुमार)

सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक)

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमान
अनुभव शर्मा
किरी न्यायालय
वादीगण
न्यायालय
पटना



(Signature)
9/4/2024

31.05.2024